राजस्व वाद सं. 282/2023 अनवान् अमनदीप सिंह बनाम परमपाल सिंह आदि

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री संजना जोशी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 282/2023

1. अमनदीप सिंह पुत्र परमपाल सिंह जाति जटसिख साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— वादी

—:बनाम:—

1. परमपाल सिंह पुत्र दलजीत सिंह जाति जटसिख साकिन हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. कुलजिन्द्र कौर पुत्री परमपाल सिंह पत्नी बादल सिंह जाति जटसिख साकिन मलुकपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
3. जसवीर कौर पुत्री परमपाल सिंह पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख साकिन फतेवाली ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गोलूवाला।

—— प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा आर.टी.ए. 88 घोषणा</u>

—:निर्णय:—

दिनांक :– 05/02/24

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री शलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को संजना जोशी आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 4 एलकेएस–ए के खाता सं. 50/45 के प. नं. 16/272(12) किला नं. 24, 25, प.नं. 17/272(13) किला नं. 21 ता 25, प.नं. 18/271 (9) किला नं. 18/1, 19 ता 24, 25/1, 25/2 की कुल 3.669 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में वादी 2.530 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी कृषि भूमि में वादी को 2.530 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, [illegible] [illegible], जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक...05/02/24....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(संजना जोशी आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा